न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी— सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	प्रा0पत्रसं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	15/19	2019/00019	03.05.19	सरकार बनाम वेदप्रकाश व अन्य	26.02.2026	1 लगायत5

पीठासीन अधिकारी :— सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 15/2019 (2019/00019)

उनवान प्रकरण

1. नरेश कुमार चेजारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर —आवेदक

बनाम

1. वेदप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री चौथी लाल गुप्ता उम्र 44 साल निवासी खारी बाजार पोस्ट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर (फर्म मालिक) मैसर्स वेदप्रकाश ट्रेडिंग कम्पनी पुरानी अनाज मंडी पोस्ट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।
2. राज नारायण सिंह पुत्र श्री इन्द्रदेव सिंह निवासी डी—79, इन्दर एनक्लेव फेज 1 किरारी निठारी सुल्तानपुरी सी ब्लॉक नॉर्थ वेस्ट दिल्ली—110088 (नोमिनी) मैसर्स KBM Foods P LTD-B-19, Lawrence Road Industrial Area Delhi—110035
3. KBM Foods P LTD-B-19, Lawrence Road Industrial Area Delhi—110035 (निर्माता फर्म)

—अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.10.2018 को समय 04.15 पी.एम. पर मैसर्स वेदप्रकाश ट्रेडिंग कम्पनी पुरानी अनाज मंडी गांव / पोस्ट गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर पर पहुँचा वहा पर वेदप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री चौथी लाल गुप्ता (मौके पर विक्रेता एवं फर्म मालिक) जाति गुप्ता निवासी खारी बाजार पोस्ट गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर उपस्थित था को मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया दुकान में खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर कुटी (KBM गाय छाप) 500 ग्राम के 248 पोली पाउच 05 कट्टों में विक्रय हेतु रखे हुए थेके मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र /खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर कुटी (KBM गाय [illegible] ग्राम पोली पाउच पैक का क्रय बिल

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:12:06 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

मांगा, विक्रेता द्वारा खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति पेश की एवं कय बिल बाद में पेश करने का निवेदन किया, तत्पश्चात नमूना वास्तै जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं० 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली, जो की न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर कुटी (KBM गाय छाप) 500 ग्राम पोली पाउच के 04 पैक वास्ते नमूना जांच हेतु कय कर राशि 320/–रूपयें नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, जो न्यायनिर्णायन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गए खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर कुटी (KBM गाय छाप) 500 गाम पोली पाउच के 04 पैक को प्लास्टिक के 04 जारों में बराबर बराबर भरकर अच्छी तरह बन्द बन्द किया, मेरे द्वारा चार लेबल तैयार किये गये , जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप कमांक एच– 1529 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेंरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विकेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विकेता वेदप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री चौथीलाल गुप्ता ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं0 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे सील किया । एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में मोहम्मद असलम वार्ड बॉय कार्यालय मु चि. एवं स्था. अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा करवाकर अलग अलग रसीद प्राप्त की गई जो की न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म से 6 की दी प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं 6 की प्रत्ति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाईमाधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाईमाधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/ 2018/ 4248 दिनांक 12.12.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोट स 669/ एफएसएसए / कोटा/ एक्ट/ 2018/ 745 दिनांक 29.11.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर कुटी (KBM गाय छाप) 500 ग्राम पोली पाउच पैक मिसब्राण्डेड पाया गया है। जाँच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:12:06 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

यह कि उक्त प्रकरण में उपर अंकीत अभियुक्त न० 01 ने मिसब्राण्डेड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (zf)(c)(i) खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर कुटी (KBM गाय छाप) 500 ग्राम पोली पाउच पैक का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लघंन किया है जो की खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में तीन लाख रूपये तक के जुर्माने योग्य अपराध है एवं अभियुक्त न० 02 एवं 03 ने मिसन्ब्राण्डेड खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2008 की धारा 3(1) (zf)(c)(i) खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर कुटी ((KBM गाय छाप) 500 ग्राम पोली पाउच पैक का निर्माण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियन 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लघंन किया है जो की खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में तीन लाख रूपये तक के जुर्माने योग्य अपराध है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण के उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी पक्ष ने दौराने बहस निवेदन किया कि खाद्य कारोबारकर्ताओं ने मिथ्याछाप (Misbranded Food) प्रकृति की खाद्य वस्तु लाल मिर्च पाउडर कुटी ((KBM गाय छाप) 500 ग्राम पोली पाउच विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि खाद्य वस्तु लाल मिर्च पाउडर कुटी ((KBM गाय छाप) 500 ग्राम पोली पाउच किसी तरह से मिथ्या छाप प्रकृति का नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई नमूने संबंधीत कार्यवाही अभियुक्तगण के समक्ष नहीं की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उक्त सैम्पल लेने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नोटिफिकेशन दिनांक 25.07.2011 के आधार पर कम सं0 44 पर लैब टेक्नीशियन के रूप में पदस्थापित व्यक्ति रहा है, जिसे खाद्य्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है, ना ही खाद्य्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये आवश्यक ट्रेनिंग उक्त श्री प्रेमचन्द्र जैन ने ली हो ऐसा ही कोई रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध है, साथ ही अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया कि अभियुक्त सं0 1 द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ ना तो निर्मित होता है, ना ही पैकिंग होता है, साथ ही अभियुक्त सं0 1 के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:12:06 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

मु.नं0 15/19 (2019/00019) सरकार बनाम वेद प्रकाश गुप्ता व अन्य

हमने उभयपक्षों की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजों से यह साबित होता है कि डी.ओ. के कोड एवं कमांक एओं– 152 की खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोट स 669/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2018/745 दिनांक 29.11.2018 के अनुसार निम्न है :–

FOOD SAFETY AND STANDARDS LABORATORY
MBS HOSPITAL CAMPUS, NEAR I.M.A.HALL
NAYAPURA, KOTA (RAJASTHAN)
FORM-B
(Refer Regulation (ii) of 2.3.1.)

(12)

Seen

Report No. 669/FSSA/Kota/Act/2018/745 Date: 29-11-2018

Certified that I Pankaj Kumar, Food Analyst duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), for Rajasthan state received from Sh. Naresh Kumar Chejara, Food Safety Officer O/O The Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur a sample of "RED CHILLI KUTTI (KBM गाय छाप)" bearing Code number and Serial number H-1529 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur area on 31-10-2018 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows: The seals no. 67 were intact and unbroken. The seals tallied with the specimen impression of the seal sent separately by the Food Safety Officer in sealed envelope by hand.

I found the sample to be "Salt, Spices, Condiments and Related products" falling under Regulation No. 2.9.3.2 Chilli Powder of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on 16-11-2018 to 29-11-2018 and the result of its analysis is given below.

Analysis Report:-

(1) Sample description; - Sample is in a sealed and intact PET JAR HAVING original company pack POLY BAG OF 500GM.

(2) Physical appearance: - Red coloured powder.

(3) Label:-1. Brand name———— "RED CHILLI KUTTI (KBM गाय छाप)"
2. Batch No. ————12/KBM
3. Date of Mfg./ Pkg.———— 16/10/2018, FSSAI 10013011001448
4. Best before———— 06MONTHS FROM THE DATE OF PACKGING
5. Symbol for veg. /non veg. ———— Green symbol given.
6. Name and address of Mfr. / Pkr.—— K B M Foods private Limited B-19, Lawrence Road, Indl. Area, Delhi-35

Sl. No	Quality Characteristics.	Name of the Method of the test used.	Results.	Prescribed standards as per (a) Food Safety and Standards (Food Products standards and Food additive) Regulations, 2011. (b) As per label declaration for Proprietary food (c) As per provisions of the Act, Rules and Regulations for both the above.
1.	Moisture.	Manual of method of analysis of food by FSSAI	1.899% by weight	Not more than 11.0% by weight.
2.	Total ash on dry basis.	——do——	6.09% by weight	Not more than 8.0% by weight.
3.	Ash insoluble in dilute Hcl on dry basis.	——do——	0.86% by weight	Not more than 1.3% by weight.
	Non-Volatile ether extract on dry. basis.	——do——	24.18% by weight	Not less than 12.0% by weight.
5.	Mould, Living and dead insect, insect fragments, rodent contamination.	——do——	Absent.	Absent.
6.	Added colouring matter	——do——	Absent	Absent.

Opinion- The sample of "RED CHILLI KUTTI (KBM गाय छाप)" bearing Code No. and Sr. No. H-1529 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur is misbranded food under section 3(1)(zf)(C)(i) of the Food Safety & Standards Act 2006.

Signed this:-29th day of November, 2018

Food Analyst
Food Safety and Standards Laboratory
Nayapura, Kota-324001

ADDRESS: DESIGNATED OFFICER CUM
The Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur.

Copy to, COMMISSIONER OF FOOD SAFETY CUM
The Director (P.H.), Medical & Health Services,
Rajasthan, Jaipur.

सरकार द्वारा अधिकृत किये जाने खाद्य विश्लेषक, [illegible] एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा की रिपोर्ट में खाद्य वस्तु लाल मिर्च पाउडर कुटी ((K[illegible] ग[illegible] छाप) 500 ग्राम पोली पाउच

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:12:06 IST
Reason: SelfAttested

अति[illegible] जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

मिथ्याछाप स्तर का पाया गया है। लेकिन उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर कुटी ((KBM गाय छाप) 500 ग्राम पोली पाउच किस आधार पर मिथ्याछाप (Misbranded Food) है। इस संबंध में आवेदक द्वारा किसी प्रकार की व्याख्या नहीं की है। ना ही आवेदक यह सिद्व कर पाया कि लेवल किस आधार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2008 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के अर्न्तगत मिसब्राण्ड प्रकृति का है।

आवेदक स्वयं के द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत आवेदन पत्र किस आधार पर प्रस्तुत किया है। सिद्ध करने में असमर्थ होने पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 26.03.2026 को सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:12:06 IST
Reason: SelfAttested